न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या :–2024 / 17

प्रार्थना पत्र संख्या 12 / 2024 तारीख रजू 19.02.2024

सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर ....प्रार्थी

बनाम

1. गंगाधर पुत्र रामचन्द्र बैरवा निवासी फलसावटा तहसील मलारना डूंगर
2. मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र बैरवा निवासी फलसावटा तहसील मलारना डूंगर
3. भरतलाल पुत्र रामचन्द्र बैरवा निवासी फलसावटा तहसील मलारना डूंगर
4. हरिकेश पुत्र रामचन्द्र बैरवा निवासी फलसावटा तहसील मलारना डूंगर
5. सावित्री पुत्री रामचन्द्र बैरवा निवासी फलसावटा तहसील मलारना डूंगर

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित – पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
श्री हरिमोहन जाट एडवोकेट – अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.05.2026

तहसीलदार मलारना डूंगर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1968 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1973 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा रामचन्द्रा पुत्र शंकर बैरवा निवासी फलसावटा तह0 मलारना डूंगर को आराजी ख0नं0 2108 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 2138 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 2139 रकबा 0.12 है0, एवं ख0नं0 2141 रकबा 0.06 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम फलसावटा तहसील मलारना डूंगर में आवंटन आदेश 05.06.1973 द्वारा आवंटन किया गया था। उक्त आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा–16 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि (चरागाह) से आवंटन होने के कारण आवटन निरस्त करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए। अदालत मातहत की मूल आवंटन पत्रावली प्राप्त हुई। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि आवंटितशुदा भूमि ख0नं0 2108 रकबा 0.25 है0 किस्म नहरी–2, ख0नं0 2138 रकबा 0. 21 है0 किस्म चाही–3, ख0नं0 2139 रकबा 0.12 है0 किस्म चाही–3, एव ख0नं0 2141 रकबा 0.

अति. जिला कलेक्टर
स.मा. माधोपुर

06 है0 किस्म चाही–3 कुल किता 4 कुल रकबा 0.64 है0 पर भू.अ. निरीक्षक मलारना डूंगर व पटवारी हल्का करेल की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी को उक्त आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि चरागाह से आवंटन होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अन्त में पेरोकार सरकार ने आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1973 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण ने पेरोकार सरकार द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर अप्रार्थीगण के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र शंकर बैरवा को आराजी ख0नं0 2108, 2138, 2139, 2141 वाके ग्राम फलसावटा तहसील मलारना डूंगर में आदेश दिनांक 05.06.1973 के द्वारा भूमि आवंटित की गई थी जोकि आवंटन के पश्चात से ही अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में है। आवंटित भूमि की किस्म बारानी–2 दर्ज है। वर्ष 1973 में आवटन से पूर्व किस्म परिवर्तन का आवंटन का प्रावधान था। विवादित ख0नं0 की किस्म परिवर्तित कर आवंटन किया गया है जो नियमानुसार सही है। जमाबंदी में गैर खातेदारी राजस्व कर्मचारियों की अनुचित इच्छापूर्ति नहीं करने के कारण है। आवंटन के समय भूमि की किस्म बारानी–2 होने से एवं विगत 52 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त होने के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में वकील अप्रार्थीगण ने तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 (अ) को खारिज करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचता हू कि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर अप्रार्थीगण के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र शंकर बैरवा निवासी ग्राम फलसावटा तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर ख0नं0 2108 रकबा 0.25 है0 किस्म नहरी–2, ख0नं0 2138 रकबा 0.21 है0 किस्म चाही–3, ख0नं0 2139 रकबा 0.12 है0 किस्म चाही–3, एवं ख0नं0 2141 रकबा 0.06 है0 किस्म चाही–3 कुल किता 4 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम फलसावटा में आदेश दिनांक 05/06/1973 द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटितशुदा ख0नं0 2138 रकबा 0.21 है0 किस्म चाही–3, ख0नं0 2139 रकबा 0.12 है0 किस्म चाही–3, एवं ख0नं0 2141 रकबा 0.06 है0 किस्म चाही–3 कुल किता 4 कुल रकबा 0.64 है0 पर भू.अ. निरीक्षक मलारना डूंगर व पटवारी हल्का करेल की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा–16 में प्रतिबंधित भूमि चरागाह से आवंटन होने के कारण निरस्त योग्य बताई गई है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये रिकार्ड अनुसार उक्त भूमि अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की प्रतीत होती है, किन्तु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(अ) के संलग्न प्रस्तुत नामान्तकरण का अवलोकन करने पर उक्त आवंटित भूमि चरागाह भूमि से आवंटित की गई है जोकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 में प्रतिबंधित होने के कारण आवंटन योग्य नहीं है। अतः मेरी राय में तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(अ) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1968 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवटन आदेश दिनांक 05.06.1973 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम फलसावटा के आराजी ख0नं0 2108 रकबा 0.25 है0 किस्म नहरी–2, ख0नं0 2138 रकबा 0.21 है0 किस्म चाही–3, ख0नं0 2139 रकबा 0.12 है0 किस्म चाही–3, एवं ख0नं0 2141 रकबा 0.06 है0 किस्म चाही–3 कुल किता 4 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम फलसावटा को राजस्व अभिलेख में पुनः चरागाह दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर